

प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बड़काकाना रेल लाईन निर्माण हेतु
ग्राम रेवाली पार्ट-II थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.
0225 एकड़ के अधिग्रहण का सामाजिक समाघात मूल्यांकन का अध्ययन

सामाजिक समाघात मूल्यांकन का प्रतिवेदन-प्रारूप

समर्पित

श्री रवि शंकर शुक्ला, भा.प्र.से.

उपायुक्त, हजारीबाग

निवेदनकर्ता

अभय कुमार सिन्हा

परियोजना समन्वयक सह नोडल पदाधिकारी

सामाजिक समाघात मूल्यांकन, इकाई



विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

कार्यकारी सारांश

यह आलेख पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग द्वारा प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-॥ थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में परियोजना के निर्माण हेतु अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ के अधिग्रहण का सामाजिक समाघात मूल्यांकन के अध्ययन का प्रतिवेदन है।

यह एक ऐसा कुशल युक्ति/साधन है जो परियोजना के परिपालन एवं संचालन के परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने में जबकि परियोजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से परियोजना का पथप्रदर्शन करेगा।

प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण ग्राम रेवाली पार्ट-॥ थाना नं0 124 थाना कटकमदाग के अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ पर किया जाना है। प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन परियोजना का निर्माण पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग द्वारा किया जाना है।

प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-॥ थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ हजारीबाग जिला के कटकमदाग अंचल में अवस्थित है, जिसका निर्माण तीन चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण, जो पूर्व सन्निर्माण चरण भी है, में परियोजना से जुड़े प्रारंभिक कार्य जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य परियोजना क्षेत्र में भू-अर्जन का है। सन्निर्माण चरण में रेल लाईन का निर्माण के क्रम में मिट्टी की कटाई/खोदाई एवं स्वीकृत समाग्री द्वारा रेल लाईन एवं उसके तटबंध के निर्माण हेतु निक्षेपण। अंतिम में प्रवर्तन चरण होगा जिसमें परियोजना निर्माण के बाद प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का विस्थापन होगा।

नई अधोसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी एवं अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के रेल परिवहन नेटवर्क को सबलता प्रदान करेगा। इसके निर्माण से इस क्षेत्र का झारखण्ड राज्य के विभिन्न भागों तथा अन्य राज्यों से सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी।

परियोजना के निर्माण तथा परिचालन अवस्थाओं के दौरान संभावित नकारात्मक सामाजिक / पर्यावरणीय समाघात के प्रकार बतालाए गए हैं जो **LARR 2013** के अनुसार हैं।

इस परियोजना के विभिन्न चरणों में होने वाली प्रतिकूल सामाजिक / पर्यावरणीय समाघात को कम करने या स्वीकृति स्तर तक घटाने हेतु सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना या Social Impact Management Plan (SIMP) के अन्तर्गत शमन/अल्पीकरण, निगरानी एवं संस्थागत उपाये प्रस्तुत किए गए हैं। SIMP का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतिकूल समाघातों को कम करना एवं गुणात्मक समाघातों को बढ़ाना है। इस SIMP को तैयार करते समय प्रभावित लोगों द्वारा उठाये गए मुद्दों और स्थानीय लोगों के विचारों को भी महत्व दिया गया है।

लागत एवं लाभ (गुणात्मक तथा ऋणात्मक समाघात) विभिन्न मापदण्डों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि स्थानीय समुदाय प्रस्तावित रेल लाईन निर्माण से लाभान्वित होंगे। तथापि यह लागत राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी एवं अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के रेल परिवहन नेटवर्क को सबलता प्रदान करेगा।

अध्याय— 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

झारखण्ड स्थलाकृतिक विविधता वाला प्रदेश है। झारखण्ड राज्य वनाच्छादित एवं पूर्णतः पठारी प्रदेश होने के कारण यहाँ उच्चावच की विविधता पायी जाती है। इन भौगोलिक विविधता एवं जटिलताओं के कारण यह राज्य परिवहन मार्ग की सुगमता तथा स्थानों की अनुयोजकता के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा प्रदेश है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखण्ड राज्य रेलमार्ग नेटवर्क का औसत काफी कम है। उक्त कमजोरियों के कारण झारखण्ड खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रदेश है।

झारखण्ड राज्य विकास पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विभिन्न परियोजना कार्य जारी है। जनसंख्या तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण झारखण्ड में रेलमार्ग नेटवर्क अधोसंरचना में वृद्धि करना आवश्यक है। जिसके तहत नये रेलमार्ग का निर्माण तथा मौजूदा नेटवर्क एव पुलों में सुधार तथा उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

किसी भी व्यवस्था/ढांचा में रेलमार्ग नेटवर्क का प्रावधान अनिवार्य अधोसंरचना की आवश्यकताओं में से एक है। औद्योगिक/खनन व्यवस्था का रेलवे एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता है, जिसके मदद से कच्चा माल एवं ईंधन की ढुलाई इन ढांचाओं तक की जाती है।


प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-II थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में भूमि का अर्जन परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बानादाग पार्ट- II थाना नं0-88, थाना कटकमदाग के

**SIA DRAFT REPORT – Construction of Koderma-Ranchi via Barkakhana Rail Line, Village Rewali
Part-II, Katkamdag, Hazaribag**

अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ परियोजना का निर्माण पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग द्वारा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त रेलवे स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान करता है। तथा सड़क यातायात के बोझ को कम करता है। इस रेलवे के निर्माण से क्षेत्र के औद्योगिक/खनन व्यवस्था को सबलता प्राप्त होगा, दूर दराज इलाके से औद्योगिक/खनन उत्पाद को औद्योगिक उपभोग एवं विपणन हेतु वितरित किया जाता है।

Fig. 1. कटकमदाग का मानचित्र



स्रोत – जनगणना 2011

1.2 लोक प्रयोजन का औचित्य

समाजिक समाघात मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह जाँचना है कि क्या प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-II थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ के निर्माण के लिए आवश्यक निम्न कारण हैं:

1. परियोजना का मूल आधार आवागमन है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है।
2. इस परियोजना में शासन की अधिकारिकता निहित रहेगी, जिससे यह लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है।
3. पिछड़ापन के कारण, यह एकमात्र रेल मार्ग है जो आवागमन हेतु इस क्षेत्र को राज्य एवं देश के अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ता है। यह राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी एवं अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के रेल परिवहन नेटवर्क को सबलता प्रदान करता है।
4. इस के निर्माण से इस क्षेत्र का झारखण्ड राज्य के विभिन्न भागों तथा अन्य राज्यों से सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी।

1.3 परियोजना के मुख्य लाभ

यह परियोजना आस-पास के स्थानीय नागरिकों के लिए बहुसंख्यीय लाभ प्रस्तुत करता है। रेल लाईन निर्माण परियोजना के मुख्य लाभ हैं:-

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि विशेषकर निर्माण के दौरान।
2. दूरी कम करना।
3. ईंधन की बचत होगी।
4. आधारभूत संरचना का विकास होगा।

5. आवागमन की सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी।
6. बाजार में विपणन की संभावना को बनाना।
7. रेलवे द्वारा कच्चे माल एवं ईंधन की आवाजाही से सड़क यातायात की बोझ को कम करने में मदद मिलेगा।
8. बड़ी मात्रा में कच्चे माल एवं ईंधन की ढुलाई की समस्या का सामाधान होगा।
9. समय की बचत होगी।

1.4 उद्देश्य

समाजिक समाघात का मूल्यांकन (SIA) RFCTLARRA 2013 के धारा-4 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया। SIA प्रस्तावित अधिग्रहण के समाजिक-आर्थिक समाघात का मूल्यांकन प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना के स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन के क्रम में SIA निम्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया।

1. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क्या लोक हित के प्रयोजन की पूर्ति करता है।
2. प्रभावित परिवारों की संख्या तथा उन परिवारों में विस्थापितों की संख्या का आंकलन करना।
3. परियोजना हेतु न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की सीमा को जानना।
4. वैकल्पिक स्थान का विश्लेषण करना (अगर आवश्यक हुआ तो)।
5. समाजिक समाघात, स्वरूप तथा उनके समाधान/अल्पीकरण के लागत का अध्ययन।
6. परियोजना के लाभ तथा लागत को समझना।
7. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण सार्वजनिक एवं निजी भूमि, आवास, अधिवास तथा अन्य सामुदायिक सम्पत्ति पर होने वाले प्रभाव की सीमा को जानना।

1.5 निदेशात्मक प्रविधि (Indicative Methodology)

चरण-1 – सर्वेक्षण पूर्व गतिविधि

1.5.1.1 परियोजना साहित्य का संकलन तथा समीक्षा

इस चरण में संदर्भित महत्वपूर्ण घटकों को चिन्हित करना एवं उपलब्ध साहित्यों का संकलन एवं समीक्षा करना तथा परियोजना संबंधित गतिविधियों के कार्यक्षेत्र की व्यापकता से परिचित होना मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अन्तर्गत दो उपागम निहित हैं –

(क) परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकारों तथा अन्य संबंधितों से विमर्श।

(ख) उपलब्ध परियोजना साहित्य का संकलन।

अर्जनाधिन भूमि के स्वामित्व के सत्यापन हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से विमर्श किया गया। उपरोक्त उपागम मुख्य घटकों को चिन्हित करने का आधार बना।

1.5.1.2 कार्यक्षेत्र की गतिविधियों से परिचय प्राप्त हेतु त्वरित टोही सर्वेक्षण

विमर्श के अतिरिक्त जमीनी हकीकत ज्ञात करने हेतु त्वरित प्रारंभिक क्षेत्र भ्रमण किया गया। यह फिल्ड रिसर्च की तैयारी तथा प्रश्नावली एवं जाँच सूची की प्रारंभिक परीक्षण से प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराने में मददगार हुआ।

1.5.1.3 स्कोपिंग तथा अन्य सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ

समीक्षा एवं त्वरित टोही सर्वेक्षण के मदद से अध्ययन के उपागम तथा निर्णायक प्रविधि की विस्तृत प्रारंभिक प्रतिवेदन एवं कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया।

चरण – 2

1.5.2.1 (क) संरचनाओं का अभिनिर्धारण/पहचान

इसके अन्तर्गत (Exploratory) एक्सप्लोरेट्री सर्वेक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

- अचल सम्पत्ति की क्षति का आकलन
- स्वामित्व की दशा/वस्तु स्थिति

सर्वेक्षण में जनता की अचल सम्पत्ति, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अथवा धार्मिक स्थल तथा सामुदायिक संसाधन/सम्पत्ति का समग्र परीक्षण शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत भू-स्वामि अथवा अधिभोगी (Occupant)/दखलदार, उसके प्रकार तथा इस्तेमाल एवं आयाम इत्यादि की विस्तृत जानकारी संकलित की गई। एक संरचित प्रारूप (प्रश्नावली) के माध्यम से परियोजना संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, परियोजना प्रभावित परिवार/व्यक्तियों एवं उनके संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का विस्तृत ब्यौरा एकत्रित किया गया।

1.5.2.1 (ख) विमर्श

हितबद्ध रैय्यतों के साथ परियोजना संबंधित मुद्दों, विशेषकर नहर के आरेखन एवं उसके निर्माण की आवश्यकता पर विमर्श करते हुए संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। संबंधित क्षेत्र की जनता के साथ जन विमर्श के माध्यम से परियोजना संबंधित समाजिक मुद्दों का मानचित्रण/प्रतिचित्रण (पता लगाना) तथा जनता की परियोजना संबंधित सोच/प्रयोजन एवं आकांक्षाओं का अभिनिर्धारण (पहचान) किया गया।

लोक विमर्श के माध्यम से निर्माण स्थल में संभावित परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के साथ घनिष्टता, सारूप्य एवं सौहार्द्ध स्थापन की प्रक्रिया सहज हो गई।

1.5.2.2 गुणात्मक सर्वेक्षण

गुणात्मक सर्वेक्षण के माध्यम से परियोजना प्रभावित जनसंख्या तथा क्रियान्वयन की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। गुणात्मक सर्वेक्षण में जनता की सभी कोटी, जैसे— महिलाओं, जानकार व्यक्तियों तथा समुदाय के नेताओं से फोकस ग्रुप डिस्कसन (समुह केन्द्रित चर्चा) तथा साक्षात्कार के माध्यम से उनकी आकांक्षाओं एवं सुझावों को ज्ञात किया गया।

इन प्रक्रियाओं से परियोजना संबंधित अतिरिक्त सुचनाएँ एवं समर्थन प्राप्त किया गया।

1.5.2.3 जीविकोपार्जन की क्षति का निर्धारण

अध्ययन के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के जीविकोपार्जन की क्षति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। तदानुसार, विमर्श की प्रक्रिया से उनके पुनर्वास की नीतियों, विशेषकर आय उपार्जन तथा अन्य सुधारात्मक एवं पुनर्स्थापन की युक्तियों का मार्ग प्रसस्त किया गया।

1.5.2.4 विधिक नीति के प्रावधानों तथा परिपालन क्षमता की समीक्षा

प्रासंगिक राष्ट्रीय तथा राजकीय विधान एवं परिनियम की समीक्षा की गई है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सेवाओं को प्रदान करने में प्राधिकारों द्वारा परिपालन व्यवस्था एवं उनकी क्षमता का अध्ययन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया।

1.5.2.5 शोध के उपकरण

अध्ययन की पूरी प्रक्रिया में समाजिक अनुसंधान के विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया गया, विशेषकर डेस्क रिसर्च के माध्यम से संबंधित सरकारी विभागों एवं परियोजना प्राधिकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं की समीक्षा की गई। परियोजना प्रभावित परिवार,समुदाय तथा प्रासंगिक सरकारी अभिकरणों के साथ स्ट्रक्चर्ड/सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तथा समूह परिचर्चा किया गया।

1.5.3 उपागम

अध्ययन के उपागम निम्नलिखित हैं:-

- अवलोकन एवं परिचर्चाओं की प्रमुखता के साथ प्राथमिक आँकड़े एकत्रित करना।
- झारखण्ड सरकार के राजस्व विभाग, जलसंसाधन/जलपथ विभाग तथा जनगणना रिपोर्ट (Census Report) से उपयुक्त सूचनाएँ एकत्रित की गई।
- इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के सरकारी पदाधिकारी एवं समुदाय के नेताओं के साथ परिचर्चा की गई।
- इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलु यह भी था की उक्त परियोजना से संबंधित समुदाय को अध्ययन के सहभागी मूल्यांकन/समीक्षा विधि के माध्यम से अध्ययन की प्रक्रिया को समझाया जा सके।
- परियोजना के क्षेत्र अध्ययन के दौरान छाया चित्रण किया गया।

समाजिक समाघात मूल्यांकन की उपरोक्त पहलुओं की निदेशात्मक प्रविधि का संक्षिप्त विवरण **table- 1.2** में प्रस्तुत है।

Table- 1.2 निदेशात्मक प्रविधि (Indicative Methodology)

क्रम सं.	समाजिक समाघात मूल्यांकन के पहलू	प्रविधि का वर्णन	स्रोत
1.	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क्या लोक हित के प्रयोजन की पूर्ति करता है	धारा-2(I)a to f में सूची प्रस्तुत है।	RFCTLARR 2013
2.	प्रभावित परिवारों की संख्या तथा उन परिवारों में विस्थापितों की संख्या का आंकलन करना	जनगणना तथा बेसलाइन सर्वे का इस्तेमाल प्रश्नावली के माध्यम से किया	क्षेत्र कार्य अध्ययन क्षेत्र-अध्ययन
3.	परियोजना हेतु न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की सीमा एवं भूमि के प्रकार- सार्वजनिक, निजी, मकान, अधिवास तथा सामुदायिक सम्पत्ति को जानना	भूमि के स्वामित्व एवं प्रकार, प्रभावित परिसम्पत्ति, वृक्ष इत्यादि के आधार पर संरेखन के माध्यम से चहलकदमी करते हुए जानकारी हासिल करना चहलकदमी करते हुए पंक्तिबद्ध संरेखण-	क्षेत्र-अध्ययन

		करना	
4.	परियोजना हेतु न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की सीमा को जानना	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण एवं उसके उपयोग की प्रासंगिकता का गहराई से अध्ययन	डेस्क कार्य एवं क्षेत्र सत्यापन
5.	भूमि अधिग्रहण क्या अन्य स्थान पर संभव नहीं हो पाएगा	परियोजना की अवस्थिति एवं वैकल्पिक संरेखन का विश्लेषण	डेस्क कार्य एवं क्षेत्र सत्यापन
6.	समाजिक समाघात, प्रकृति तथा समाघात के समाधान की लागत एवं पुरे परियोजना की कुल लागत पर इन लागतों का प्रभाव	विकल्पों एवं उनके लागत का तुलनात्मक अध्ययन	डेस्क कार्य एवं क्षेत्र अध्ययन, घटकों से परामर्श

1.6 आँकड़ों का स्रोत:

प्राथमिक आँकड़ों की प्राप्ति

- ❖ सार्वजनिक विचार-विमर्श
- ❖ महत्वपूर्ण सूचनादाता
- ❖ साक्षात्कार
- ❖ अनुसूची
- ❖ जन-सुनवाई
- ❖ केन्द्रित समूह परिचर्चा

द्वितीयक आँकड़ों की प्राप्ति

- उचित मुआवजा एवं पादर्शिता की व्यवस्था भूमि अधिग्रहण 2013 के अन्तर्गत।
- जिला जनगणना रिपोर्ट 2011
- राजस्व विभाग से आँकड़ों की प्राप्ति
- भारत सरकार द्वारा लागू विधान एवं परिनियम

1.7 विकल्पों/संरेखन का विप्लेषण

प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु सर्वाधिक उत्तम स्थल /संरेखन/विकल्प को चिन्हित किया गया है।

उपरोक्त स्थल /संरेखन/विकल्प का चुनाव भूमि अधिग्रहण, समाजिक समाघात तथा जनता की पसंद के संदर्भ में गुणों को समझते हुए किया गया। विकल्पों के अध्ययन में निम्न बिन्दुओं पर विशेष विचार किया गया—

1. भूमि अधिग्रहण
2. संरचनाओं का अधिग्रहण
3. पर्यावरणीय मुद्दे
4. समुदायिक संपत्ति पर प्रभाव
5. जनोपयोगी वस्तु/सेवा का स्थानांतरण
6. यात्रा का समय
7. निर्माण की लागत
8. क्रियान्वयन की चुनौतियाँ
9. जनमत

प्रस्तावित कोडरमा रॉंची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण में प्रयोज्य महत्वपूर्ण परिनियम एवं विधान Table- 1.3 में प्रस्तुत है।

Table- 1.3 महत्वपूर्ण परिनियम एवं विधान

क्र०सं०	कानून / अधिनियम	प्रावधान	लागू होना	लागू होने के कारण	वैधानिकता
1	भू-अर्जन, पूनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम.-,2013	भूमि अधिनियम से सम्बधित कानून सरकार के द्वारा लागू होगा।	हाँ	यह कानून लागू होगा	DC एवं DLAO; जिला भू-अर्जन विभाग, हजारीबाग
2	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम –1986	पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु	हाँ	पर्यावरण से संबंधित अधिसूचना कानून एवं अनुसूची इस अधिनियम में है।	MoEF.Gol; DoE, State Govt. CPCB; SPCB
3	वन्य संरक्षण अधिनियम	वन का संरक्षण	हाँ	कुछ हद तक पेड़ों	Forest Department. वन

**SIA DRAFT REPORT – Construction of Koderma-Ranchi via Barkakhana Rail Line, Village Rewali
Part-II, Katkamdag, Hazaribag**

	–1927 / 1972 वन्य संरक्षण अधिनियम–1980			की कटाई	विभाग GoJ
4	जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण 1974	मानक आधारित जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण	हाँ	यह अधिनियम निर्माण कार्य मे होता है।	SPCB
5	गौण खनिज तथा स्वीकृति कानून	नया खदान प्रारंभ करने के लिए	हाँ	यह नियंत्रित किया जाता है। गौण मामुली खनिज जैसे पत्थर, मिट्टी, बालू इत्यदि।	DC हजारीबाग
6.	केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989	वाहनीय वायु एवं ध्वनि प्रदुषण	हाँ	यह नियम सड़क निर्माण एवं निर्माण कार्य	DTO, हजारीबाग

**SIA DRAFT REPORT – Construction of Koderma-Ranchi via Barkakhana Rail Line, Village Rewali
Part-II, Katkamdag, Hazaribag**

				उपकरणों पर लागु हुआ	
7.	कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 20)	कोयला धारक क्षेत्र संबंधित प्रावधानों	हाँ	अधिनिर्णय से व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील	DC, हजारीबाग
8.	रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)	रेल यातायात को कार्यावधि तक रोके रखना।	हाँ	रेल यातायात को कार्यावधि तक रोके रखना।	पूर्व मध्य रेलवे के रेल यातायात / परिचालन संबंधित सक्षम प्राधिकार

अध्याय— 2: दल संरचना,उपागम तथा SIA शिड्यूल

2.1 दल संरचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 10A/Bhu.A.Ni./Niyamavali-525/NI दिनांक 26.05.2015 में निदेशानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही को करने के पूर्व अर्जनाधीन भूमि का समाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के माध्यम से विनोबा भावे विश्वविद्यालय को समाजिक समाघात अध्ययन करने वाली संस्थाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है।

पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग द्वारा प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-॥ थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ पर किया जाना है।

उक्त परियोजना के परिप्रेक्ष्य में उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग द्वारा कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-॥ थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ हेतु अर्जनाधीन भूमि के समाजिक समाघात अध्ययन हेतु अधियाचना की गयी तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय को उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उपरोक्त अध्ययन हेतु नामित किया गया है।

उपरोक्त संबंधित अधिसूचना एवं पत्र तथा DLAO, हजारीबाग द्वारा उपलब्ध करायी गई अर्जनाधीन भूमि संबंधित मूलभूत जानकारी के अनुक्रिया में SIA Unit,VBU द्वारा SIA अध्ययन दल का गठन किया गया है। जो निम्न है:

SIA अध्ययन दल, VBU

नम	पद का नाम
अभय कुमार सिन्हा	परियोजना समन्वयक सह नोडल पदाधिकारी (सहा. आर्चाय, भूगोल विभाग)
कमला प्रसाद	क्षेत्र समन्वयक (सहा आर्चाय,अ.प्र., भूगोल विभाग)
रंजीत कुमार दास	क्षेत्र अन्वेषक (भूगोल विभाग)
कैलाश प्रसाद	,, एम.ए. (भूगोल विभाग)
प्रभात कुमार रवि	,, एम.ए. (भूगोल विभाग)
सोनु दुबे	,, एम.ए. (भूगोल विभाग)

2.2 परामर्श जन सुनवाई

परामर्श का कार्य एक निर्णायक चरण है। परामर्श का कार्य समाजिक समाघात मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग है। जिसके अर्न्तगत स्थानीय लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इसके अर्न्तगत स्थानीयों के बीच परामर्श तथा जन-सुनवाई का कार्य किया जाता है। परामर्श की यह रूपरेखा समाजिक समाघात प्रबंधन योजना के तैयार होने तथा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान तक जारी रहती है। सामुदायिक बातचीत एवं उनके भागीदारी की योजना विकसित की जा सकती हैं। समाजिक समाघात मूल्यांकन सहभागी योजना बनाने के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि संरचनात्मक परामर्श एवं जन सुनवाई महत्वपूर्ण योजना के उपागम एवं नीतियों की पुष्टि करता है।

2.3 परामर्श के प्रकार—

1. सूचना प्रसारीकरण— परामर्श के दौरान भूमि से संबन्धित हिस्सेदारों के बीच सूचना प्रसारीकरण का कार्य सम्प्रेषण के माध्यम से किया गया।
2. रेल साईडिंग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की जाने वालों की सूची के माध्यम से प्रभावित परिवारों के बीच सूचना प्रसारीकरण का कार्य एवं फोकस ग्रुप को ध्यान में रखकर परियोजना के विशेषताओं को बतलाया गया तथा रेल साईडिंग पथ निर्माण के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया।
3. परियोजना प्रभावित परिवार से विमर्श के दौरान उन्हें परियोजना के परिणाम स्वरूप संभावित समाघात, सामाजिक-आर्थिक द्वन्द (यदि हो तो) की जानकारी दी गयी साथ ही रेल साईडिंग निर्माण के दौरान सुगम्यता का ह्रास के विषय में भी बताया गया।
4. परामर्श के दौरान रेल साईडिंग निर्माण के अवस्थिति को समझाया गया। इस गतिविधि से प्रभावित जनता को उनकी परिसंपत्ति पर समाघात को समझाने में काफी मदद मिली।
5. सर्वे के चरण में परामर्श का रेल लाईन से थोड़ी दूर चाय दुकान पर सम्पन्न किया गया। परामर्श का कार्य व्यक्ति, परियोजना प्रभावित परिवार के स्तर पर, स्थानीय व्यक्तियों के समुह तथा केंद्रित समुह चर्चा किया गया ताकि योजना संबंधित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों की स्वीकार्यता समझा जा सके। इन परामर्शों का सम्पूर्ण उद्देश्य जनता की स्वेक्षा से भागीदारी सुनिश्चित हो। घटकों को उनके चिंताओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति की खुली छुट दी गई। उनके सूझाव

एवं पसंद पर सहमति बनी जिसे अंततः समाजिक समाघात मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार होने के उपरांत साझा किया जाएगा।

2.4 विमर्श के परिणाम

परामर्श का कार्य व्यक्तिगत तथा ग्राम स्तर पर की जाती है। जबकि ग्राम स्तर पर परामर्श का कार्य सैम्पल के आधार पर समाजिक,आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है।

परामर्श के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जो व्यक्तिगत तथा घटकों के बीच तथा ग्राम स्तर पर की जाती है। यह सभी मुद्दे, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनकी जीविका, क्षतिपूर्ति इत्यादि से जुड़ा होता है। इनके लिए क्या सरकारी नौकरी का प्रावधान है या मुआवजा की राशि मिलती रहेगी।

2.5 परामर्श के दौरान सामने आये मुद्दे

क्रमसंख्या	मुद्दा	उपचार
1.	LARR Act 2013 के अनुसार मुआवजा के बदले नौकरी का प्रावधान है।	SIA के अंतिम रिपोर्ट में सूचित किया जाएगा।
2.	कृषि-भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप जीविका का साधन की क्षति।	LARR Act 2013 के अनुसार क्षतिपूर्ति।
3.	अधिग्रहण उपरांत एवं क्षतिपूर्ति चरणोंपरांत सामुदायिक आवश्यकता।	सामाजिक तथा वित्तीय परामर्ष इत्यादि।
4.	LARR Act 2013 के अनुसार चार गुणा क्षतिपूर्ति का प्रावधान	
5.	रेल लाईन निर्माण पथ पर सुरक्षा के उपाय	महत्वपूर्ण रेल यातायात संकेतक का निर्माण हो जैसे- ट्रैफिक लाईट, तथा अन्य ट्रैफिक चिन्ह इत्यादि।

2.6 निरंतर परामर्श का प्रारूप

LARR Act 2013 में प्रावधानित धारा 6 तथा धारा 7(6) के अनुसार SIA की आवश्यकता को विशिष्ट स्थान पर सार्वजनिक किया जाए। इसके लिए ग्राम स्तर पर सेवक तथा सरकारी अधिकारी भी मौजूद होने चाहिए। SIA के उद्देश्यों को SIA दल के माध्यम से बतलाया जाता है।

1. प्रमुख भागीदार तथा नियुक्त संस्था के माध्यम से कार्य करना है जो LARR Act 2013 कानून में धारा-7 में प्रावधानित है।
2. SIA से सम्बन्धित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
3. महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी है तथा जो LARR Act 2013 में प्रावधानित है।
4. LARR Act 2013 के कानून के महत्वपूर्ण विशेषताओं को इंगित किया जाएगा।

2.7 SIA का कार्यक्रम

ब्यौरा	टिप्पणी
SIA इकाई वि.भा.वि. से SIA अध्ययन हेतु दर उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्राप्त हुआ	
लागत प्रस्ताव प्रेषित किया	

**SIA DRAFT REPORT – Construction of Koderma-Ranchi via Barkakhana Rail Line, Village Rewali
Part-II, Katkamdag, Hazaribag**

गया ।	
SIA अध्ययन हेतु अधियाचित राषि प्राप्त	
SIA इकाई वि.भा.वि. द्वारा SIA अध्ययन हेतु परियोजना की विस्तृत जानकारी माँगी गयी ।	
सर्वेक्षण, परामर्श तथा लोक-सुनवाई के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गयी ।	25.9.2017
सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ	13.10.2017
सर्वेक्षण कार्य से वापसी तथा बैठक (मीटिंग) का कार्य सम्पन्न	15.10.2017
प्रतिवेदन-प्रारूप प्रस्तुत किया गया ।	
जन सुनवाई	
प्रतिवेदन तैयार किया गया	

अध्याय— 3: भूमि मूल्यांकन

3.1 पृष्ठभूमि

प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-II थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ पर किया जाना है।

उक्त परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किया जाना है। निम्नलिखित खण्डों में भूमि अधिग्रहण की सीमा, भूमि अधिग्रहण के चरण, परियोजना में भूमि अधिग्रहण की स्थिति, भूमि मूल्यांकन की प्रक्रिया की चर्चा की गई।

3.2 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का प्रकार

उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ज्यादातर अधिग्रहित कि जाने वाली भूमि का प्रकार धान खेत-3 भूमि है। कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु इस भूमि का इस्तेमाल एक बार ही होगा। अतः जहाँ तक हो सके भूमि का उचित अधिग्रहण तथा उचित इस्तेमाल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कुल अधिग्रहित की जाने वाली भूमि 0.0225 एकड़ है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उनके स्वामित्व के साथ विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 3.1 में प्रस्तुत है।

**SIA DRAFT REPORT – Construction of Koderma-Ranchi via Barkakhana Rail Line, Village Rewali
Part-II, Katkamdag, Hazaribag**

Table 3.1 प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-८ थाना नं० 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का ब्यौरा

क्रम०सं०	खाता सं०	प्लॉट न०	अधिग्रहण किया जाने वाला रकबा (एकड़ में)/भूमि का प्रकार	वर्तमान रैयत	जमाबंदी रैयत	उत्तरदाता/ दावेदार	मोबाइल नं.	आधार संख्या
1	70	1323 अंश	0.0225 (धान III)	विजय राणा वो राहुल राणा पिता कृष्णा राणा निवासी ग्राम मसरातु टोला महुडर	विजय राणा वो राहुल राणा पिता कृष्णा राणा निवासी ग्राम मसरातु टोला महुडर (केवालाधारी)	कृष्णा राणा विजय राणा	9608136727 8987477904	576945792038

3.3 क्षतिपूर्ति का निर्धारण

कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य के मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु समार्हता LARR 2013 के प्रावधान 26 का पालन करेंगे, जो निम्न है:

1. उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय-विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या
2. निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या
3. प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाये गए प्रतिकर की सम्मत रकम,

जो भी अधिक हो:

परन्तु बाजार मूल्य के अवधारणा की तारीख होगी, जिसको धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

चूँकि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि 0.0225 एकड़ कृषि भूमि है इसलिए संबंधित भूमि निबंधन दर लागू होगा। उदाहरण के लिए,

अ. भूमि की दर $\times 2$

ब. क्षतिपूर्ति राशि (Solatium) = 100%

भूमि की कुल मुआवज़ा राशि = अ+ब (निबंधन दर का चार गुणा)

अध्याय-4 परियोजना क्षेत्र के समाजिक और आर्थिक सूचक

यह अध्याय कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-II थाना नं0 124 थाना कटकमदाग परियोजना के निर्माण हेतु अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ भूमि अर्जन के फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक सूचकों के विश्लेषण पर आधारित है। उक्त परियोजना क्षेत्र कुल जनसंख्या का स्वरूप ग्रामीण है। कटकमदाग प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 82385, जिसमें 42581 पुरुष तथा 39804 महिला शामिल है। कटकमदाग प्रखण्ड में कुल परिवारों की संख्या 14462 है।

यह अध्याय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों की समाजिक-आर्थिक स्थिति की रूप रेखा प्रस्तुत करता है। समाघात के अध्ययन के क्रम में सर्वेक्षण कार्य के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों की समाजिक-आर्थिक स्थिति ज्ञात की गई।

4.2 परियोजना प्रभावित क्षेत्र के समाजिक-आर्थिक अभिलक्षण

परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ज्यादातर व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। कटकमदाग प्रखण्ड की कुल साक्षरता दर 58.54 % है। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र के समाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक संकेतक न्यून विकास सूचकांक की ओर संकेत करते हैं।

4.3 परियोजना क्षेत्र के समाघात एवं सामाजिक तथा आर्थिक सूचक

परियोजना प्रभावित परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी व्यवसाय की जानकारी, उनके परिवार के आय की जानकारी, रोजगार की जानकारी, कामगारों की संख्या और निर्भर व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। व्यवसाय की जानकारी, परिवार के मुखिया के काम की जानकारी प्रदान करती है कि वह क्या काम करता है। परिवार

की आय, कामगार व्यक्तियों के आय पर निर्भर करती है और कामगार व्यक्ति वे होते हैं जो काम करते हैं और आय प्राप्त करते हैं तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं जबकि निर्भर व्यक्तियों में पत्नी, बच्चे, वृद्ध व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति जो काम नहीं करते और आय प्राप्त नहीं करते हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल पारिवारिक आय दो लाख रुपये से कम है।

कटकमदाग प्रखण्ड के बानादाग ग्राम में परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया ताकि उसके आधार पर आय-अर्जन गतिविधियों का सृजन तथा प्लान किया जा सके जो कि अतिरिक्त एवं वैकल्पिक आय- अर्जन गतिविधि सिद्ध हो सके। दूसरा कि व्यवसाय के प्रकार की जानकारी से उस क्षेत्र की मूल आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी हो सके। सर्वे के अनुसार अधिकतम व्यक्ति कृषि को अपना व्यवसाय मानते हैं। परियोजना प्रभावित परिवार मुख्यतः कृषि एवं नौकरी से जुड़ा हुआ है।

4.4 परियोजना क्षेत्र की शैक्षणिक परिदृश्य

शिक्षा किसी भी गांव या समाज के विकास की पूंजी होती है। यह विकास एवं उत्थान की दिशा को निर्देशित करती है जब कि कहीं-कहीं पर लोगों के बीच (शिक्षित एवं अशिक्षितों के बीच) नये तरह का अंतर भी पैदा करती है। इन सबके बीच, किसी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में यह एक मूल जरूरत और एक अच्छा सूचक भी है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में 58.29 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। और जहां तक परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के शैक्षणिक परिदृश्य की बात है, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता I.A. है।

4.4 परियोजना प्रभावित परिवार/व्यक्तियों

परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या 1/4 है, चूँकि परियोजना में कुल अर्जनाधीन रकबा 0.0225 एकड़ है, इसलिए किसी भी परिवार की जीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नगण्य है।

अध्याय 5 समाजिक समाघात प्रबंधन योजना

5.1 पृष्ठभूमि

सामाजिक समाघात अध्ययन में अधिग्रहण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाली आबादी के विषय में आंकड़े एकत्र किए गए हैं। परियोजना के हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखण्ड के ग्राम बानादाग से आंशिक रूप से भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। यह इलाका मूल रूप से ग्रामीण है। आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी ही है। इलाके की मुख्य फसल धान है। इसी तरह क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों को परिमार्जित कर इनका विश्लेषण किया गया।

सामाजिक समाघात

एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह के साथ आयोजित परिचर्चाओं के जरिये परियोजना के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया और निष्कर्ष निकाला गया। ये निष्कर्ष इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि परियोजना का स्थानीय लोगों के जीवन पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि, देश व झारखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास में परियोजना की बड़ी भूमिका होगी। सर्वेक्षण में शामिल किए गए अधिकांश लोग स्थानीय स्तर पर परियोजना से तत्काल फायदा होता देख रहे हैं। भूस्वामी जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि परियोजना का इलाके पर सकारात्मक प्रभाव होगा। साथ ही, स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि परियोजना का पर्यावरण और सामाजिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

वैधानिक रूप से सरकार से उचित मुआवजा मिलने पर हितबद्ध रैय्यतों को भूमि अधिग्रहण किए जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

5.2 पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढाँचा और दृष्टिकोण

परियोजना के निर्माण से विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों के दैनिक मानदेय या रोजी में वृद्धि होगी जिससे व्यक्ति के आय एवं बचत में भी वृद्धि होगी। इसका सीधा प्रभाव परिवार के आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर पर पड़ेगा। लोक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने में सक्षम होंगे। अच्छी आय से व्यक्ति उचित पोषक भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे एवं स्वच्छता हेतु घरेलू शौचालय जैसे साधनों की स्थापना कर पायेंगे। जीवन यापन हेतु मूलभूत संरचनाओं की स्थिति सुधरेगी।

परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का आंकलन किया गया है। समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।

5.3 संभावित सकारात्मक समाजिक समाघात निम्नलिखित है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है –

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि विशेषकर निर्माण के दौरान ।
2. दुरी कम करना ।
3. ईंधन की बचत होगी ।
4. आधारभूत संरचना का विकास होगा ।
5. आवागमन की सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी ।
6. बाजार में विपणन की संभावना को बनाना ।
7. रेलवे द्वारा कच्चे माल एवं ईंधन की आवाजाही से सड़क यातायात की बोझ को कम करने में मदद मिलेगा ।
8. बड़ी मात्रा में कच्चे माल एवं ईंधन की ढुलाई की समस्या का सामाधान होगा ।
9. समय की बचत होगी ।

पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग द्वारा प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-II थाना नं0 124 थाना कटकमदाग में परियोजना के निर्माण हेतु अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ पर किया जाना है ।

रेल लाईन निर्माण के ऋणात्मक समाजिक समाघात को अधिक से अधिक कम करने के लिए समाजिक समाघात योजना LARR 2013 के अनुसार तैयार की गई है। इस परियोजना के विभिन्न चरणों में होने वाले प्रतिकूल समाजिक समाघात को कम

करने या स्वीकृति स्तर तक घटाने हेतु SIMP के अन्तर्गत अल्पीकरण, निगरानी एवं संस्थागत उपाये प्रस्तुत किए गए हैं। SIMP का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतिकूल समाघातों को कम करना एवं गुणात्मक समाघातों को बढ़ाना है। SIMP परियोजना के विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किए जाएंगे जैसे निर्माण पूर्व चरण, एवं निर्माण चरण,परिचालन चरण।

Table 5.1 परियोजना घटना चक्र के विभिन्न चरणों में समाजिक समाघात का वर्गीकरण:

पूर्व-सन्निर्माण चरण	निर्माण चरण	परिचालन
1. कृषि भूमि का अधिग्रहण	धूल और प्रदुषण	रोजगार में वृद्धि
2. सामुदायिक संपत्ति को नुकसान	अनेक गांव तक पहुँचने की सुविधा	
3. अधिग्रहित भूमि के अन्तर्गत आने वाले वृक्ष तथा अधिसंरचना का अधिग्रहण	निर्माण की अवस्था में रोजगार	आर्थिक वृद्धि में योगदान

5.2 परियोजना का प्रभाव:

समाजिक समाघात मूल्यांकन वास्तविकता में एक जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नकारात्मक प्रभाव को कमतर करने के साथ भूमि का उचित इस्तेमाल करते हुए पुरा किया जा सकता है। इस कार्य के लिए स्थानीय लोग, सार्वजनिक उद्देश्य तथा लोक हित को ध्यान में रखकर किया गया है।

5.3 समाजिक समाघात अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

परियोजना प्रभावित परिवारों कि अनुमानित संख्या 1 है यद्यपि यह संख्या अर्जनाधीन भूमि, जो 0.0225 एकड़ है, को देखते हुए काफी अधिक नहीं प्रतीत होता है। दरअसल, विस्थापना की दृष्टिकोण से समाघात लगभग शून्य है तथा जीविका की हानि काफी कम है। यह परियोजना किसी भी आवासीय या व्यवसायिक संरचना का विस्थापन नहीं करता है। औसतन भूमि अधिग्रहण प्रति परिवार लगभग 0.0225 एकड़ आता है।

1. कटकमदाग मौजा के निवासी अध्ययन दल से विमर्शोपरांत परियोजना के लाभ को समझने के बाद सेतु निर्माण परियोजना का स्वागत करते हैं।
2. पंचायती राज के प्रतिनिधियों से निरंतर विमर्श परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।
3. समाजिक समाघात का प्रतिवेदन LARR 2013 की धारा 7(5) के अनुसार अनावृत किया जाएगा।
4. सभी परिवार के उत्तरदाताओं ने उचित एवं वैधानिक मुआवजे की राशि प्राप्त होने पर उक्त भूमि के अधिग्रहण किए जाने पर अनापत्ति व्यक्त की है।

सामाजिक समाघात का मूल्यांकन करते हुए परियोजना कार्य के लाभ तथा हानि का तुलनात्मक विश्लेषण तालिका संख्या 5.2 में दर्शाया गया है:—

Table 5.2 परियोजना सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण

क्रम0सं0	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
1.	आवागमन में समय कम लगना	कृषि भूमि का जाना
2.	रेलवे द्वारा कच्चे माल एवं ईंधन की आवाजाही से सड़क यातायात की बोझ को कम करने में मदद मिलेगा	स्थानीय कृषि आधारित जीविकोपार्जन के अवसर का कतिपय कम होना
3.	परिवहन किमत कम होना	वृक्षों को नुकसान
4.	भूमि की लागत में बढ़ोतरी	समुदायिक सम्पत्ति की क्षति-पूर्ति
5.	रोजगार की स्थिति बेहतर होगी	रैय्यतो की सही पहचान न होने पर विवाद की स्थिति
6.	विकास की मुख्यधारा में शामिल होना	भूमि कम होने से रैय्यतो का पलायन होने को मजबूर हो सकते हैं
7.	बड़ी मात्रा में कच्चे माल एवं ईंधन की दुलाई की समस्या का सामाधान होगा	अनुभवहीनता के कारण मुआवजा राशि का गलत इस्तेमाल हो सकता है

5.5 सामाजिक समाघात अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें

सामाजिक समाघात मूल्यांकन, रैय्यतो की भागीदारी पद्धति पर आधारित एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सामाजिक लागत तथा सामाजिक-आर्थिक लाभ का मूल्यांकन का पहल किया जा रहा है। किसान का भूमि से भावनात्मक लगाव होता है। यह रैय्यतो के लिए स्थिर पूँजी के रूप में जाना जाता है। भूमि पर लगभग सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। यह किसानों के आजीविका का मुख्य साधन है।

परियोजना प्रभावित परिवारों कि अनुमानित संख्या 1 है यद्यपि यह संख्या अर्जनाधीन भूमि, जो कुल 0.0225 एकड़ है, काफी अधिक नहीं प्रतीत होता है। दरअसल, विस्थापना की दृष्टिकोण से समाघात लगभग शून्य है तथा जीविका की हानि काफी कम है। यह परियोजना किसी भी आवासीय या व्यवसायिक संरचना का विस्थापन नहीं करता है। औसतन भूमि अधिग्रहण प्रति परिवार लगभग 0.0225 एकड़ आता है।

सरकार के द्वारा भू-अर्जन के लिए मुआवजा वैधानिक दर से देने का प्रवधान। जो सामाजिक आर्थिक रूप से संतोषजनक दर है। सर्वे का उद्देश्य शोध के निष्कर्ष, सर्वेक्षणकर्ता का विचार तथा ग्राम सभा एवं व्यक्तियों के विचार के आधार पर निम्न मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रस्तुत है:

- परियोजना का मूल आधार आवागमन एवं माल की ढुलाई है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है।
- इस परियोजना में शासन की अधिकारिकता निहित रहेगी, जिससे यह लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है।
- पिछड़ापन के कारण, यह एकमात्र रेल मार्ग है जो आवागमन एवं माल की ढुलाई हेतु इस क्षेत्र को राज्य एवं देश के अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ता है।

- यह राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी एवं अर्थवस्था को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के रेल परिवहन नेटवर्क को सबलता प्रदान करता है।
- इस के निर्माण से इस क्षेत्र का झारखण्ड राज्य के विभिन्न भागों तथा अन्य राज्यों से सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी।
- वैधानिक रूप से सरकार से उचित मुआवजा मिलने पर हितबद्ध रैय्यतों को भूमि अधिग्रहण किए जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।
- यह परियोजना लाभकारी एवं जनकल्याणकारी है तथा अधियाचित रकबा का भू-अर्जन कर प्रस्तावित परियोजना का परिपालन किया जाना आवश्यक है।
- अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किया जायेगा।
- यह परियोजना रेखीय अधिग्रहणों की श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है।
- पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए परियोजना द्वारा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।
- परियोजना के आने से प्रभावित गाँव एवं आसपास के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
- प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कोई विशेष नाकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं रेखिक (Linear)। अधिग्रहण होने के फलस्वरूप पर्यावरण पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- इस परियोजना में विस्थापन की संख्या शून्य है।
- इस परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भवन, नहर, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, देवस्थल आदि प्रभावित नहीं हो रही है।
- इस परियोजना के लिए सभी विकल्पों का अध्ययन के पश्चात् सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त विकल्प का चयन किया गया है।

- मुआवजा राशि के वितरण के पूर्व ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित कर ली जाए जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जा रही है। इस बात के ठोस उपाय किए जाएं कि सही व्यक्ति को ही मुआवजे का भुगतान हो।
- जमीन की प्रकृति निर्धारित कर भू स्वामियों को तत्काल समय पर उनकी जमीन का मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- प्रभावित परिवार की मुआवजा राशि पति-पत्नी के बैंक या डाकघर में संयुक्तरूप से जमा हो।
- संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात – परियोजना के लिए जमीन बिक्री या भू-अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है जिससे संयुक्त परिवारों में विखंडन की संभावनाएं बढ़ जाती है, किन्तु साथ-साथ उसके एवज में प्राप्त मुआवजे की राशि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन में सुधार भी आ जाती है। लोग अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जीविका को और भी सरल बना सकते हैं।
- परियोजना की वजह से खेतिहर मजदुर जैसे परियोजना प्रभावित कुल लोगों की आय में गिरावट की आशंका है। ऐसे लोगों को रोजगार में मदद उपलब्ध करानी होगी। इन्हें परियोजना की निर्माण अवधि में वहां रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए।

विकास की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ती है और नये मोड़ लेती है, भूमि की माँग बढ़ती है। नये कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है व परंपरागत उपयोगों में अधिक मात्रा में भूमि की माँग की जाती है। सामान्यतया नये उपयोगों अथवा परंपरागत उपयोगों में बढ़ती हुई भूमि की माँग की आपूर्ति के लिए कृषि के अर्न्तगत भूमि को काटना पड़ता है और इस प्रकार भूमि कृषि उपयोग से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है।

हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ श्रम अतिरेख व कृषि कार्य है। ऐसी अवस्था में कृषि उपयोगों से भूमि का चला जाना गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकता है। जहाँ इस प्रक्रिया से एक ओर सामान्य कृषक के निर्वाह श्रोत का

विनाश होता है, दुसरी ओर समग्र अर्थव्यवस्था की दृष्टी से कृषि प्रदार्थों की माँग और आपूर्ति में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो सकते है। कृषि पदार्थों की आपूर्ति में अर्थव्यवस्था में अनेक अन्य गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है।

इसलिए यह आवश्यक समझा जाता है कि विकास प्रक्रिया के दौरान जैसे-जैसे भूमि की माँग बढ़ती है उसी के साथ ही बंजर, परती तथा बेकार पड़ी भूमि को कृषि अथवा गैर कृषि कार्यों के योग्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए की खेती-बाड़ी के लिए उपलब्ध भूमि के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी न आए वरन जहाँ तक संभव हो कृषि योग्य परती भूमि में सुधार करे। कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध भूमि में वृद्धि ही की जानी चाहिए।

अध्याय 6 लागत-लाभ विश्लेषण

इस रेल लाईन के निर्माण से सिर्फ ग्रामिणों का विकास ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। यह राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी एवं अर्थवस्था को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के रेल परिवहन नेटवर्क को सबलता प्रदान करेगा। इसके निर्माण से इस क्षेत्र का झारखण्ड राज्य के विभिन्न भागों तथा अन्य राज्यों से सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी।

समाजिक समाघात अध्ययन का प्रयोजन इस रेल साईडिंग के निर्माण का उद्देश्य तथा परियोजना के सामाजिक समाघात का अध्ययन तथा रेल साईडिंग निर्माण की लागत का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। साथ ही यह भी ज्ञात करना कि रेल साईडिंग निर्माण से क्या लाभ होगा। प्रस्तावित कोडरमा राँची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम रेवाली पार्ट-॥ थाना नं० 124 थाना कटकमदाग में अर्जनाधीन रकवा 0.0225 एकड़ पर किया जाना है। इसके अनुमानित आर्थिक लागत से कहीं अधिक है इसका सामाजिक आर्थिक लाभ।

परियोजना से लाभ:

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि विशेषकर निर्माण के दौरान ।
2. दूरी कम करना ।
3. ईंधन की बचत होगी ।
4. आधारभूत संरचना का विकास होगा ।
5. आवागमन की सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढ़ेगी ।
6. बाजार में विपणन की संभावना को बनाना ।
7. रेलवे द्वारा कच्चे माल एवं ईंधन की आवाजाही से सड़क यातायात की बोझ को कम करने में मदद मिलेगा ।
8. बड़ी मात्रा में कच्चे माल एवं ईंधन की ढुलाई की समस्या का सामाधान होगा ।
9. समय की बचत होगी ।

सामाजिक समाघात मूल्यांकन रैयतो की भागीदारी पद्धति पर आधारित एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सामाजिक लागत तथा सामाजिक/आर्थिक लाभ का मूल्यांकन आवश्यक है।

लागत एवं लाभ (गुणात्मक तथा ऋणात्मक समाघात) विभिन्न मापदण्डों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि स्थानीय समुदाय प्रस्तावित रेल लाईन निर्माण से लाभान्वित होंगे। तथापि यह लागत राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी एवं अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के रेल परिवहन नेटवर्क को सबलता प्रदान करेगा।